मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः03.03.2026

अनुमानित कीमत ₹ 55 लाख के अवैध हेरोइन, गांजा, कच्ची देशी शराब व शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण तथा मादक पदार्थों की बिक्री की धनराशि ₹ 30180/- नकद बरामद, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार —

"अपर्णा रजत कौशिक" पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में होली पर्व सहित अन्य आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने, अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना को0देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

आज दिनांकः03.03.2026 को थाना को0देहात पुलिस को शुक्लहा में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कच्ची देशी शराब का निष्कर्षण एवं मादक पदार्थों का क्रय-विक्रय कराये जाने के सम्बन्ध में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश देकर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। जिसके द्वारा पूछताछ में अपना नाम पता बच्चे लाल सोनकर पुत्र स्व0कन्हैया लाल सोनकर निवासी शुक्लहा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर बताया गया। पुलिस टीमों द्वारा मौके से 12 प्लास्टिक के जरिकेन में रखा 600 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब तथा शराब बनाने के उपकरण, 02 गैस चूल्हा, 01 गैस सिलेण्डर इण्डेन, 04 स्टील का ड्रम मय नली युक्त पाइप लगा हुआ, 01 लोहे की कड़ाही, 02 एल्युमिनियम का पात्र, 03.600 किग्रा गांजा, 252 ग्राम अवैध हेरोइन तथा मादक पदार्थों की बिक्री की धनराशि ₹ 30180/- नकद बरामद किया गया। मादक पदार्थों की बिक्री एवं अवैध शराब निष्कर्षण की उपरोक्त घटना में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी तथा एक अन्य अभियुक्त दिलीप सोनकर पुत्र स्व0कैलाश सोनकर निवासी महुवरिया थाना को0शहर जनपद मीरजापुर को रमईपट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-101/2026 धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम व 8/20/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार 02 अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.बच्चे लाल सोनकर पुत्र स्व0कन्हैया लाल सोनकर निवासी शुक्लहा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-65 वर्ष।

2.दिलीप सोनकर पुत्र स्व0कैलाश सोनकर निवासी महुवरिया थाना को0शहर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-35 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

- 252 ग्राम हेरोइन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत ₹ 50 लाख)
- 03.600 किग्रा गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत ₹ 1.75 लाख)
- मादक पदार्थों की बिक्री की धनराशि ₹ 30180/- नकद।
- 600 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब तथा शराब बनाने के उपकरण।
- 02 गैस चूल्हा, 01 गैस सिलेण्डर इण्डेन, 04 स्टील का ड्रम मय नलीयुक्त पाईप लगा हुआ, 01 लोहे की कड़ाही, 02 एल्युमिनियम का पात्र।

पंजीकत अभियोग —

मु0अ0सं0-101/2026 धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम व 8/20/21/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना को0देहात, मीरजापुर

आपराधिक इतिहास —

अभि0बच्चे लाल सोनकर उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0-1203/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना को0कटरा, मीरजापुर।
2.मु0अ0सं0-527/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना को0देहात, मीरजापुर।
3.मु0अ0सं0-39/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना को0देहात, मीरजापुर।
4.मु0अ0सं0-82/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, 272,273 भादवि थाना को0देहात, मीरजापुर।

अभि0दिलीप सोनकर उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0-191/2017 धारा 323,504,506 भादवि थाना को0शहर, मीरजापुर।
2.मु0अ0सं0-138/2019 धारा 323,504,506 भादवि थाना को0शहर, मीरजापुर।
3.मु0अ0सं0-190/2019 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर, मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक परमहंश कुमार चौ0प्र0 भरुहना, थाना को0देहात, मीरजापुर।
उप-निरीक्षक मधुसुदन राय, कमलेश यादव, महेश पाठक व राजेश पाण्डेय।
मुख्य आरक्षी पंकज दूबे, विक्रम विशाल सिंह, आलेक पाण्डेय व गुफरान खाँ।
आरक्षी सुमित कुमार, श्रीनरायन एवं महिला आरक्षी नीलम देवी, रश्मि श्रीवास्तव, हर्षिता सिंह व तनु पाण्डेय।

उत्तर प्रदेश पुलिस